संक्षिप्त समाचार

फर्जी यूनिवर्सिटी मामले में दो गिरफ्तार

एटा। फर्जी यूनिवर्सिटी बनाकर छात्रों को प्रवेश दिलाने और फर्जी परीक्षा आयोजित कराने के मामले में मारहरा थाना पुलिस ने दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र के नगला रज्जी निवासी कीरत राम पुत्र डम्बर सिंह और एक महिला अभियुक्ता शामिल है। पुलिस के अनुसार महिला फर्जी शिक्षिका और एडवाइजर के रूप में कार्य कर रही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को थाना मारहरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 168/2026 में धारा 318(2), 338, 336(3), 340(2) और 111 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ थाने से आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर लेखपालों ने किया धरना प्रदर्शन

आठ सूत्रीय मांगों को लेकर कलम बंद, 24 अक्टूबर से जिला स्तर पर आंदोलन की चेतावनी

स्वदेश समाचार ■ एटा।

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की लंबित मांगों को लेकर शनिवार को अलीगंज तहसील में लेखपालों ने संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर कलम बंद आंदोलन किया। लेखपाल तहसीलदार कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरने पर बैठे और शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया।

संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि लेखपाल लंबे समय से प्रारंभिक वेतनमान में 2800 ग्रेड पे देने, वेतन विसंगतियां दूर करने और अंतरमंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी होने के बाद समय से डीपीसी कराने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा 16 वर्षों से बाल्यावकाश में वृद्धि नहीं होने का मुद्दा भी शामिल है। लेखपालों ने ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं व सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा रोस्टर लगाने से पहले संसाधन सुनिश्चित करने की मांग की। ऑनलाइन और तकनीकी कार्यों के बढ़ते बोझ को देखते हुए लेखपाल पद को तकनीकी पद घोषित कर लैपटॉप, मोबाइल समेत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई।


मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते लेखपाल।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। 24 अक्टूबर से जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में तीन दर्जन से अधिक लेखपाल मौजूद रहे।

मंडी में धान की आवक बढ़ते ही बिगड़ी यातायात व्यवस्था, लगा जाम

स्वदेश समाचार ■ एटा।

नवीन गल्ला मंडी में धान की आवक शुरू होते ही एटा-अलीगंज मार्ग पर यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। शनिवार को मंडी के पास करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। धान से लदे ट्रैक्टरों की कतार के कारण किसान, राहगीर, ई-रिक्शा चालक और बाइक सवार घंटों फंसे रहे। यह जाम दोपहर 2 बजे तक लगा रहा। जिलेभर से बड़ा संख्या में किसान धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। एक साथ कई ट्रैक्टर आने से एटा-अलीगंज मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ा। इससे दोनों ओर लंबी कतारें लग गईं और लोगों को पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई। किसानों का कहना है कि धान की आवक बढ़ने की जानकारी होने के बावजूद मंडी और मुख्य मार्ग पर यातायात के पूरे इंतजाम नहीं थे।

हाथरस के किसान की सड़क हादसे में मौत

एटा। धान बेचने के लिए एटा की नवीन गल्ला मंडी आ रहे एक किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर सड़क पर पलट गया, जिसमें सवार किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए एटा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार हाथरस जिले के थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव चंदनपुर निवासी मुनेंद्र चौहान (45) पुत्र रामवीर सिंह चौहान शनिवार सुबह अपने भतीजे के साथ ट्रैक्टर में धान लादकर एटा की नवीन गल्ला मंडी में बेचने के लिए आ रहे थे।

मथुरा और भूतेश्वर के मध्य यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण रेलगाड़ियों का समय परिवर्तन, निरस्तीकरण एवं मार्ग परिवर्तन

रेलगाड़ियों की रिशेड्यूलिंग

क्र. सं.	गाड़ी सं.	कहाँ से - कहाँ तक	रिशेडयूलिंग	प्रारम्भिक स्टेशन से रिशेड्यूलिंग की तिथि
1	14726	मथुरा जं. - भिवानी जं.	115 मिनट	04.10.26 से 07.10.26 तक
			240 मिनट	08.10.26 से 09.10.26 तक
2	54794	मथुरा जं.- सवाई माधोपुर जं.	80 मिनट	04.10.26 से 09.10.26 तक
3	20490	मथुरा जं.- बाड़मेर जं.	60 मिनट	08.10.26 को
4	12060	हज़रत निज़ामुद्दीन - कोटा	120 मिनट	10.10.26 को
5	12716	अमृतसर-हजूर साहिब नान्देड	120 मिनट	10.10.26 को
6	22209	मुम्बई सेंट्रल-हज़रत निज़ामुद्दीन	150 मिनट	09.10.26 को

रेलगाड़ियों का रेग्यूलेशन

क्र. सं.	गाड़ी सं.	कहां से - कहां तक	रेग्यूलेशन उ.म.रे (मिनट में)	रेग्यूलेशन की प्रभावी तिथि
1	19326	अमृतसर - इंदौर	85 मिनट	04.10.26 से 08.10.26 तक
2	20848	शहीद कप्तान तुषार महाजन-दुर्ग	85 मिनट	09.10.26 को
3	11078	जम्मू तवी - पुणे	90 मिनट	04.10.26 से 09.10.26 तक
4	20424	फिरोज़पुर कैंट - सिवनी	80 मिनट	04.10.26 से 09.10.26 तक
5	22126	अमृतसर - नागपुर	85 मिनट	04.10.26 को
6	14725	भिवानी जं. - मथुरा जं.	110 मिनट	04.10.26 से 09.10.26 तक
7	18478	योग नगरी ऋषिकेश - पुरी	70 मिनट	04.10.26 से 09.10.26 तक
8	12060	हज़रत निज़ामुद्दीन - कोटा	20 मिनट	04.10.26 से 09.10.26 तक
9	12716	अमृतसर - हजूर साहिब नान्देड	25 मिनट	04.10.26 से 09.10.26 तक
10	12190	हज़रत निज़ामुद्दीन - जबलपुर	30 मिनट	04.10.26 से 09.10.26 तक
11	22209	मुम्बई सेंट्रल-हज़रत निज़ामुद्दीन	40 मिनट	05.10.26 को
12	12283	एरणाकुलम जं. -हज़रत निज़ामुद्दीन	60 मिनट	06.10.26 को
13	12807	विशाखापटनम्-हज़रत निज़ामुद्दीन	40 मिनट	07.10.26, 08.10.26
14	12707	त्रिरुपति - हज़रत निज़ामुद्दीन	30 मिनट	07.10.26 को
15	12641	कन्याकुमारी-हज़रत निज़ामुद्दीन	30 मिनट	07.10.26 को
16	12643	त्रिरुवनंतपुरम् सेंट्रल -हज़.निज़ामुद्दीन	20 मिनट	06.10.26 को
17	53335	कासगंज - मथुरा जं.	10 मिनट	04.10.26 से 09.10.26 तक
18	12707	त्रिरुपति - हज़रत निज़ामुद्दीन	30 मिनट	09.10.26 को
19	12803	विशाखापटनम्-हज़रत निज़ामुद्दीन	20 मिनट	09.10.26 को
20	14318	योग नगरी ऋषिकेश-लक्ष्मीबाई नगर	65 मिनट	10.10.26 को
21	16032	श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा - चेन्नई सेंट्रल	40 मिनट	09.10.26 को

रेलगाड़ियों का निरस्तीकरण

क्र. सं.	गाड़ी सं.	कहां से - कहां तक	प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी निरस्तीकरण की तिथि
1	01941	आगरा छावनी - पलवल	10.10.2026 को
2	01942	पलवल - आगरा छावनी	10.10.2026 को
3	01943	आगरा छावनी - रूंधी	10.10.2026 को
4	01944	रूंधी - आगरा छावनी	10.10.2026 को
5	14725	भिवानी जं. - मथुरा जं.	09.10.2026, 10.10.2026 को
6	14726	मथुरा जं. - भिवानी जं.	10.10.2026, 11.10.2026 को
7	54794	मथुरा जं. - सवाई माधोपुर	09.10.2026, 10.10.2026 को
8	54793	सवाई माधोपुर - मथुरा जं.	10.10.2026, 11.10.2026 को
9	51971	मथुरा जं. - अलवर जं.	10.10.2026 को
10	51972	अलवर जं. - मथुरा जं.	10.10.2026 को
11	55333	कासगंज - आगरा फोर्ट	10.10.2026 को
12	55334	आगरा फोर्ट - कासगंज	10.10.2026 को
13	55331	कासगंज - अछनेरा	10.10.2026 को
14	55332	अछनेरा - कासगंज	10.10.2026 को

रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन

क्र. सं.	गाड़ी सं.	कहाँ से - कहाँ तक	प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी तिथि	निर्धारित मार्ग	परिवर्तित मार्ग
1	09310	हज़रत निज़ामुद्दीन-इंदौर जं.	10.10.2026	हज़रत निज़ामुद्दीन-मथुरा जं.-भरतपुर-बयाना	हज़रत निज़ामुद्दीन-गाज़ियाबाद-मितावली-आगरा फोर्ट-बयाना
2	22868	हज़रत निज़ामुद्दीन-दुर्ग	10.10.2026	हज़रत निज़ामुद्दीन-मथुरा जं.-आगरा छावनी	हज़रत निज़ामुद्दीन-गाज़ियाबाद-मितावली-आगरा छावनी
3	11078	जम्मू तवी- पुणे	09.10.2026	नई दिल्ली-मथुरा जं.-आगरा छावनी	नई दिल्ली-गाजियाबाद-मितावली-आगरा छावनी
4	20424	फिरोज़पुर कैण्ट-सिवनी	10.10.2026	दिल्ली सफदरगंज-मथुरा जं.-आगरा छावनी	दिल्ली सफदरगंज-गाज़ियाबाद-मितावली-आगरा छावनी
5	18478	योग नगरी ऋषिकेश - पुरी	10.10.2026	मेरठ सिटी-गाज़ियाबाद-हज़रत निज़ामुद्दीन-मथुरा जं.-आगरा छावनी	मेरठ सिटी-खुर्जा-मितावली-आगरा छावनी
6	12190	हज़रत निज़ामुद्दीन-जबलपुर जं.	10.10.2026	हज़रत निज़ामुद्दीन-मथुरा जं.-आगरा छावनी	हज़रत निज़ामुद्दीन-गाज़ियाबाद-मितावली-आगरा छावनी
7	20807	विशाखापटनम्-अमृतसर जंक्शन	09.10.2026	आगरा छावनी-मथुरा जं.-नई दिल्ली	आगरा छावनी-मितावली-गाज़ियाबाद-नई दिल्ली

रेलगाड़ियों का आंशिक निरस्तीकरण

क्र. सं.	गाड़ी सं.	कहाँ से - कहाँ तक	स्टेशनों के मध्य निरस्त	प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी आंशिक निरस्तीकरण की तिथि
1	20489	बाड़मेर - मथुरा जं.	गोवर्धन - मथुरा जं.	09.10.2026 को
2	20490	मथुरा जं.- बाड़मेर	मथुरा जं. - गोवर्धन	10.10.2026 को
3	64016	शकूरबस्ती - मथुरा जं.	पलवल - मथुरा जं.	10.10.2026 को
4	64019	मथुरा जं.- शकूरबस्ती	मथुरा जं. - पलवल	10.10.2026 को
5	64904	गाज़ियाबाद - मथुरा जं.	कोसीकलां-मथुरा जं.	10.10.2026 को
6	64903	मथुरा जं.-गाज़ियाबाद	मथुरा जं.- कोसीकलां	11.10.2026 को
7	64905	मथुरा जं.- शकूरबस्ती	मथुरा जं.-कोसीकलां	11.10.2026 को
8	64910	शकूरबस्ती - मथुरा जं.	कोसीकलां -मथुरा जं.	10.10.2026 को
9	64073	धौलपुर - नई दिल्ली	धौलपुर - कोसीकलां	10.10.2026 को
10	64074	नई दिल्ली - धौलपुर	कोसीकलां - धौलपुर	10.10.2026 को
11	55335	कासगंज - मथुरा जं.	मथुरा कैंट-मथुरा जं.	10.10.2026 को
12	55336	मथुरा जं.- कासगंज	मथुरा जं.-मथुरा कैंट	10.10.2026 को

नोटः- ट्रेनों की समय सारणी से सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नं. 139 या रेल Rail Madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR 2260/26(K)

स्थलीय सत्यापन और शिकायतकर्ता से संवाद के बाद हो निस्तारण- डीएम

स्वदेश समाचार ■ एटा।

शासन की मंशा के अनुरूप शनिवार को जिले की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। जलेसर तहसील में जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर आख्या अपलोड करने तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता से संवाद और आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की जाए।

डीएम ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की प्रकृति के अनुसार राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर भेजकर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल, दैनिक जनसुनवाई, संपूर्ण समाधान दिवस अथवा थाना दिवस से प्राप्त हर शिकायत में शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना अनिवार्य है। निस्तारण के बाद कार्रवाई और मौके के फोटोग्राफभी संलग्न किए जाएं। उन्होंने पूर्व शिकायतों की समीक्षा कर संबंधित शिकायतकर्ताओं से फोन पर फीडबैक भी लिया।


तहसील दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनती जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी।

जलेसर में 80 शिकायतों में 15 का मौके पर निस्तारण हुआ। एटा सदर में 23 में छह और अलीगंज में 25 में पांच शिकायतों का समाधान कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय ने पुलिस संबंधी शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के लिए भेजी गईं।

मां गायत्री इंटर कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम ने चलाया स्कूल सेफ्टी एवं आपदा जागरूकता अभियान

स्वदेश समाचार ■ कासगंज।

जनपद कासगंज में जिला प्रशासन के समन्वय एवं सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जनजागरूकता के उद्देश्य से 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गाजियाबाद की टीम द्वारा निरंतर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को टीम कमांडर निरीक्षक चमन किशोर गुप्ता के नेतृत्व में माँ गायत्री इंटर कॉलेज, न्यौली, कासगंज में स्कूल सेफ्टी एवं आपदा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ टीम ने विद्यार्थियों को भूकंप के समय अपनाई जाने वाली ड्रॉप-कवर-होल्ड तकनीक, सुरक्षित निकासी, अग्नि सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सीपीआर एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रदर्शन कर विद्यार्थियों को इनका व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। इसके अतिरिक्त गले में किसी वस्तु के फँसने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए हेमलिच मैन्युवर तकनीक का प्रदर्शन किया गया तथा विद्यार्थियों को इसका अभ्यास भी कराया गया। विद्यार्थियों को आकाशीय बिजली से बचाव के उपायों तथा मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्राप्त करने के लिए सचेत एवं दामिनी ऐप के उपयोग एवं उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई।एनडीआरएफ टीम ने विद्यार्थियों को आपदा के समय घबराने के बजाय सतर्कता, संयम एवं सूझबूझ से कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

रंजिश में युवक को मारी गोली

सोरों। जनपद कासगंज की सोरों कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम रंजिश के चलते 34 वर्षीय युवक को गोली मार दी। जिससे गोली युवक की कनपटी के ऊपर कान के पास लगी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से चिकित्सकों ने युवक को अलीगढ़ रेफर कर दिया। वहां से भी हालत में सुधार न होने पर दिल्ली एम्स भेज दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि सोरों कोतवाली क्षेत्र के गांव ब्रह्मपुरी निवासी विजय भारद्वाज पुत्र संतोष भारद्वाज का शुक्रवार दोपहर गांव के ही अमित समेत कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद और कहासुनी हुई थी।

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

रजिस्टर्ड ऑफिस 27-ऐ, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुडंडी, चेन्नई-600032, तमिलनाडु

ई-मेल: auction@hindujahousingfinance.com

संपर्क व्यक्ति: उमेश चौहान- 8954281688; ब्रजेश अवस्थी- 9918301885 हरीश चंद यादव- 7060411785; राधिन कुमार गौतम- 9319551888

परिशिष्ट चतुर्थ [नियम 8 (1)] कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 3) के अंतर्गत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों को एक डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उधारकर्ता (इसके बाद उधारकर्ता और गारंटर को सामूहिक रूप से 'उधारकर्ता' कहा गया है) से उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उक्त राशि पर अनुबंध दर पर एक राशि और भविष्य के ब्याज के साथ-साथ आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

खाता संख्या, कर्जदा का नाम और पता	कब्जा मिलने की तारीख: 30/09/2026 डिमांड नोटिस की तारीख और कुल बकाया राशि: 20.08.2026 और रु. 5,24,498/-
UP/LKN/AGRA/A000002371. 1. श्री काली चरण पुत्र श्री सौदान सिंह (उधारकर्ता/पता नंबर 1) 2. श्रीमती भूरी भूरी पत्नी श्री कालीचरण (सह-उधारकर्ता/पताअ नंबर 2). पता - नगला हरिदय, सुमुरा नूरुल्लापुर पिंगरी मथुरा, सेमलुरबन मथुरा, उत्तर प्रदेश 281122। संपत्ति का विवरण: खसरा नंबर 73 के तहत एक रेजिडेंशियल हाउस, जिसका एरिया 138.79 वर्गफुट है। मौजा नगला हिरदयनूरउल्लाहपुर तह. जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। पूर्व- चप्पो का घर, पश्चिम- रास्ता 10 फीट चौड़ा, उत्तर- संजय का घर, दक्षिण- जग्गो का घर।	

स्थान: उत्तर प्रदेश दिनांक: 04.10.2026 एसडी/अधिकृत अधिकारी- हिंदुजा हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुनीं जनसमस्या

स्वदेश समाचार ■ कासगंज।

संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सप्ताह के पहले शनिवार को जिलाधिकारी प्रणय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने कासगंज तहसील पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनीं। डीएम एवं एसपी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों को सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के समक्ष इस अवसर पर अधिक धनराशि के बिजली के बिल आने, विधवा व वृद्धावस्था पेंशन न मिलने, राशन कार्ड बनवाने, भूमि की पैमायश कराने, अवैध कब्जा हटवाने, राजस्व, भूमि विवाद, उत्पीड़न, आपसी विवाद आदि से सम्बंधित 30 प्रार्थना प्रत्र प्राप्त हुये। जिनमें से 07 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि फरियादियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, उप जिलाधिकारी कासगंज, जिला परियोजना निदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी सहित तहसीलदार राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।


संपूर्ण समाधान दिवस में लोगों की फरियाद सुनते डीएम और एसपी, साथ में अधिकारीगण।

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट ऑफिस 167-169, दूसरी मंजिल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई -600015

ई-मेल: auction@hindujahousingfinance.com

परिशिष्ट-चतुर्थ-ए [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]

ब्रजेश अवस्थी 9918301885; हरीश चंद यादव 7060411785

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-चतुर्थ ए) (नियम 8(6))

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कॉर्पोरेट कार्यालय-27, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032 और शाखा कार्यालय: - हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड-द्वितीय तल, पदम बिजनेस पार्क, सेक्टर 12-ऐ, आवास विकास, आगरा उत्तर प्रदेश-282001 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके आगे 'अधिनियम') के तहत। जबकि एचएचएफ के प्राधिकृत अधिकारी ('एओ') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था। रुपये की वसूली के लिए 'जैसा है जहां है और जैसा है जैसा है' के आधार पर इसे बेचने का अधिकार 6,90,250/- बकाया, सेल नीचे साइन करने वाले द्वारा वेबसाइट: www.bankeauctions.com.& auction@hindujahousingfinance.com पर दिए गए ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी।

इंस्पेक्शन की तारीख: 03 नवंबर 2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 14:00 बजे तक। ईएमडी की तारीख 04 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक। ई-नीलामी की तारीख: 05 नवंबर 2026, 11:00-13:00 बजे	कुल बकाया	आरक्षित मूल्य
	डिमांड नोटिस की तारीख और रकम:	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
लैन/उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर	कब्जे की तिथि और प्रकार	बोली वृद्धि राशि
UP/LKN/AGRA/A000002261 1. श्री सतेन्द्र सतेन्द्र पुत्र श्री घिरोंजी लाल (उधारकर्ता/पता सं.1) 2. श्रीमती रत्नेश देवी पत्नी श्री सतेन्द्र (सह-उधारकर्ता/पताकर्ता- सं.2) पता गली सं.3 रामकृष्ण नगर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश-283203	07.04.2025 तक बकाया	आर.पी. रु. 9,01,000/-
	24.04.2025 और रु. 6,90,250/-	(ईएमडी): 90,100/- रुपये
	11 जुलाई 2025 और प्रतीकात्मक कब्जा	रु. 10,000/-

अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण: खसरा संख्या 81 के अंतर्गत 39.53 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला एक आवासीय प्लॉट, मौजा ककराऊ तहसील व जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित। दिशा/सीमा: पूर्व- रास्ता 12 फीट, पश्चिम- मुन्नी देवी का प्लॉट, उत्तर- पॉप सिंह की पत्नी का प्लॉट, दक्षिण- अर्जी का आंशिक प्लॉट।

पेमेंट का तरीका:- सारा पेमेंट हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के फेवर में आगरा में पेएबल डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी से किया जाएगा। अकाउंट की डिटेल्स इस तरह हैं: अ) अकाउंट का नाम:- हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ब) बैंक का नाम:-HDFC, c) अकाउंट नंबर:-HHFLTDUPLKNAGRA A2261 d) इश्यूरर कोड:-HDFC00049891।

खास निर्देश / सावधानी: बोली लगाने वालों को अपने फायदे के लिए आखिरी मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोली लगाने वाले की तरफ से किसी भी तरह की चूक/फेलियर (इंटरनेट फेलियर, पावर फेलियर, वगैरह) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार होंगे। ऐसी अचानक आने वाली स्थिति से बचने के लिए, बोली लगाने वालों से रिक्वेस्ट है कि वे सभी जरूरी इंतजाम/विकल्प जैसे बैक-अप पावर सप्लाई और जो भी जरूरी हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में कामयाबी से हिस्सा ले सकें।

ऑनलाइन ई-ऑक्शन सेल के नियम और शर्तें- 1. प्रॉपर्टी 'जैसी है जहाँ है, जो भी है और बिना किसी सहारे के' बेची जा रही है। इसलिए, यह सेल बिना किसी वारंटी और हर्जाने के है। 2. ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट संपत्ति/परिसंपत्तियों (अर्थात सीमा और माप) का विवरण सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक मौजूदा और माप भिन्न हो सकते हैं। 3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए एक निमंत्रण है और यह सुरक्षित लेनदार की ओर से किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक कार्यों की प्रतियों का अवलोकन करें और बोली/संपत्तियों को प्रभावित करने वाले शीर्षक और वर्तमान स्थिति और दावों/बकाया के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/उचित परिश्रम करें। 4. नीलामी/बोली केवल https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया का समन्वय करें। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी बोलीदाता द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुरक्षित लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली लगाने के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर- 68, तीसरी मंजिल सेक्टर 44 गुड़गांव हरियाणा-122003 (हेल्प लाइन नंबर +91-124-4302000) से संपर्क कर सकते हैं। समर्थन ईमेल Support@bankeauctions.com, (सहायता मोबाइल नंबर: -7291981124/1125/1126 ई-ऑक्शन सेल में हिस्सा लेने के लिए, जो लोग बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पहले से रजिस्टर करवाना होगा और उन्हें यूजर इड और पासवर्ड मिल जाएगा। जो लोग बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि सर्विस प्रोवाइडर से पासवर्ड मिलने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें। 7. ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए, जो लोग बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें रिजर्व प्राइस (जैसा कि ऊपर बताया गया है) का 10% रिफंडेबल ईएमडी जमा करना होगा। यह रकम इच्छुक बोली लगाने वालों को 03 नवंबर 2026 तक 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए देनी होगी। 8. जो लोग बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें सही तरीके से भरा हुआ बिड फॉर्म (फॉर्मेट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है) और ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट के साथ एक सीलबंद लिफाफे में ऑथराइज्ड ऑफिसर उमेश चौहान, रीजनल ऑफिस नंबर, हिंदुजा हाउसिंग फाइ